Machine Translated by Google

चेक लिस्ट संख्या 5 – एमएस एक्ट की धारा 44 के तहत न्यायालय के आदेश आदि द्वारा जहाजों, शेयरों आदि का संचरण (पृष्ठ 1 का 1)

नहीं	आवश्यकताएँ	हां/नहीं	टिप्पणी
1	हस्तान्तरणकर्ता कंपनी (मूल स्वामी) का एक अधिकृत व्यक्ति , जो कंपनी सचिव के पद से नीचे का न हो, जहाज रजिस्ट्रार को सरल भाषा में स्पष्ट पत्र द्वारा घटनाक्रम पर सलाह देगा, जिसमें लागू वैध साधनों (जैसे न्यायालय आदेश) के खंडों का उचित संदर्भ दिया जाएगा (या यदि संभव हो तो संबंधित खंड को उद्धृत किया जाएगा) जिसके द्वारा स्वामित्व हस्तान्तरित कंपनी (नए स्वामी) को हस्तांतरित किया जाएगा।		
2	हस्तांतरित कंपनी (नए मालिक) का अधिकृत व्यक्ति , रजिस्ट्रार को उपरोक्तानुसार स्पष्ट पत्र द्वारा घटनाक्रम की जानकारी देगा।		
3	घोषणा पत्र संख्या 5 या 6 (इस कार्यालय में उपलब्ध) को विधिवत रूप से भरा जाना है तथा हस्तांतरित कंपनी (नए मालिक) के अधिकृत व्यक्ति द्वारा जहाज रजिस्ट्रार के समक्ष हस्ताक्षरित किया जाना है।		
4	प्रासंगिक न्यायालय आदेश की नोटरीकृत प्रतियां उपलब्ध कराई जानी हैं।		
5	न्यायालय के आदेश के निम्नलिखित भागों पर प्रकाश डाला जाना है। (1) हस्तांतरक से हस्तांतरी को विषय जहाज के हस्तांतरण का विवरण और (2) हस्तांतरक से हस्तांतरी को देनदारियों, ऋणों, बंधकों और बकाया भुगतानों का हस्तांतरण		
6	* कंपनी सचिव (या दो निदेशकों) द्वारा हस्ताक्षरित मूल बोर्ड प्रस्ताव - नए मालिक से अपेक्षित है कंपनी की ओर से घोषणापत्र (फॉर्म संख्या 5 या 6) पर हस्ताक्षर करने के लिए व्यक्ति को स्पष्ट रूप से अधिकृत करना।		
नोट: बोर्ड के प्रस्ताव पर कॉमन सील की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, मॉर्गेज (फॉर्म 11), पावर ऑफ अटॉर्नी, बिल ऑफ सेल आदि जैसे कार्यों को निष्पादित करने के लिए लागू होने वाले दस्तावेजों पर कॉमन सील लगाई जाएगी।			
8	हस्तांतरिती (नए मालिक) के अद्यतन (न्यायालय आदेश द्वारा किए गए संशोधनों को शामिल करते हुए) ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियमों की प्रतिलिपि प्रस्तुत की जानी है।		
9	आरओसी फॉर्म संख्या 21 की विधिवत पंजीकृत नोटरीकृत प्रति हस्तांतरक और हस्तांतरी द्वारा प्रस्तुत की जानी है		
10	स्वामित्व परिवर्तन के अनुमोदन के लिए नवीनतम कमान परिवर्तन के साथ रजिस्ट्री का मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि यह व्यावहारिक न हो (जैसे कि जहाज विदेश में चल रहा हो) तो नए मालिक का अधिकृत व्यक्ति यह वचन देगा कि जहाज पर नई रजिस्ट्री (जारी की जाने वाली) रखने के तुरंत बाद पिछला प्रमाण-पत्र वापस कर दिया जाएगा।		
11	स्वामित्व हस्तांतरण के समय जहाज पर कोई भी बकाया बंधक नहीं होना चाहिए। मौजूदा बंधक, यदि कोई हो, हस्तांतरण से पहले समाप्त कर दिए जाने चाहिए। हस्तांतरण के बाद, बैंक की सलाह के अनुसार उसी बंधक को फिर से बनाया जा सकता है।		
12	शुल्क 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट 'प्रधान अधिकारी, एमएमडी, मुंबई' के पक्ष में मुंबई में देय होगा। नए मालिक के अधिकृत व्यक्ति से उक्त ट्रांसमिशन से संबंधित मुद्दों को स्पष्ट करने की अपेक्षा की जाती है।		
13	एमएमडी द्वारा विधिवत समर्थित अंतिम कमांड परिवर्तन का साक्ष्य।		

नोट: यह जांच सूची हस्तांतरण के अलावा अन्य वैध तरीकों से प्राप्त जहाजों के लिए है। (उदाहरण के लिए न्यायालय के आदेश द्वारा दो कंपनियों का विलय / एकीकरण।)
केवल कार्यालय उपयोग के लिए: (i) यदि जहाज, ऐसे हस्तांतरण के कारण, भारतीय जहाज नहीं रह जाता है, तो डीजी शिपिंग को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए ताकि आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा सके जैसे कि 60 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना आदि। (ii) मालिक के नाम और पते में परिवर्तन रजिस्ट्री प्रमाणपत्र पर किया जाना चाहिए या (iii)।
(iv) रजिस्टर को अद्यतन किया जाना चाहिए तथा रजिस्ट्रार द्वारा उसका समर्थन किया जाना चाहिए। (5) रजिस्टर की प्रतिलिपि डीजीएस को भेजी जानी चाहिए तथा न्यायालय के आदेश के अनुसार नए मालिक को विधिवत रूप से किसी भी बकाया बंधक को प्रेषित किया जाना चाहिए।

नोट: - चेकलिस्ट के अनुसार संलग्न/संलग्न किसी भी दस्तावेज की फोटोकॉपी केवल कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और मुहर लगी होनी चाहिए।
बिना पूर्वोक्त सत्यापन एवं मुहर के इस कार्यालय द्वारा कोई भी दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा।